

नवीन पंजीयन के लिये आवेदन करते समय निम्न मूल प्रमाण पत्र एवं एक प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।

1. सैंकेन्डरी का प्रमाण पत्र (अंक तालिका, स्कूल का टीसी आदि स्वीकार्य नहीं है)
 2. सीनियर सैंकेन्डरी का प्रमाण पत्र या अंक तालिका।
 3. बी.फार्म डिग्री/डी.फार्म डिप्लोमा/प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो परीक्षा लेने वाले बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया हुआ हो (कालेज द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है)
 4. बी.फार्म/डी.फार्म की समस्त अंकतालिकाये।
 5. मूल प्रक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट।
 6. पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल कापी (यदि अन्य किसी राज्य में पंजीकृत हो तो)
 7. एक पासपोर्ट आकार का फोटो जो एक माह पूर्व से पहले खिचा न हो एवं जिस पर आवेदक का नाम व फोटो खिचने की तारीख फोटो में ही हो जैसा कि दर्शाई गई है।
 8. हलफनामा (जिसका प्रारूप कौंसिल कार्यालय से प्राप्त करें)
 9. राजस्थान राज्य में रहने का प्रमाण – निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहिचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली-पानी या टेलीफोन का बिल जो आपके नाम हो या राशन कार्ड। (मूल निवास प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं है)
 10. आवेदन शुल्क 1000 का डी.डी./बैंकर चेक/इंडियन पोस्टल आर्डर (जो रजिस्ट्रार राजस्थान फार्मसी कौंसिल, जयपुर के नाम देय हो)
- निर्धारित आवेदन पत्र एवं हलफनामे का प्रारूप कालेज कार्यालय में उपलब्ध है, जिसकी फोटोकापी करके छात्र प्रयोग में ले सकते हैं।



राजस्थान फार्मसी कौंसिल

राजकीय चिकित्सालय परिसर, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर – 302006
दूरभाष 0141-228600